उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनुभाग-1

सं0-3/2015 सं0वि0क0नि0-1-2674/11-2014-174/2012

लखनऊ: दिनांक: 31 दिसम्बर, 2014

<u>विज्ञप्ति/प्रोन्नति</u>

शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-सं0वि0क0नि0-1-1255/11-2010-159/2009, दिनॉक 15-6-2010 द्वारा चयन वर्ष 2009-10 के सापेक्ष श्री विनोद कुमार सिन्हा, डिप्टी कमिश्नर को ज्वाइन्ट कमिश्नर के पद पर स्थानापन्न पदोन्नति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी थी कि उक्त स्थानापन्न पदोन्नति काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत आगामी चयन अथवा मुहर बन्द लिफाफे के अंतिम निस्तारण तक, जो भी पहले हो, तक के लिये मान्य होगी। चयन वर्ष 2010-11 में श्री सिन्हा के विरूद्ध अनुशासनिक जॉच प्रचलित हो जाने के कारण इनकी ज्वाइन्ट कमिश्नर के पद पर नियमित पदोन्नति नहीं हुई। श्री सिन्हा के विरूद्ध उक्त प्रचलित अनुशासनिक जॉच परिनिन्दा के दण्ड के साथ समाप्त हो जाने के उपरान्त कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 15-6-2010 द्वारा स्थानापन्न पदोन्नति प्राप्त कनिष्ठ अधिकारियों की ज्वाइन्ट कमिश्नर के पद पर नियमित पदोन्नति की तिथि 28-6-2012 से श्री विनोद कुमार सिन्हा स्थानापन्न ज्वाइन्ट कमिश्नर को ज्वाइन्ट कमिश्नर के पद पर वेतनमान रू0 15600-39100 ग्रेड पे रू0 7600/- में एतद्द्वारा नियमित पदोन्नति प्रदान की जाती है।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से

ह0/-

बीरेश कुमार

प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-सं0वि0क0नि0-1-2674 (1)/11-2014, तद् दिनॉक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।
2- महालेखाकार (लेखा), उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- संबंधित अधिकारी द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
5- कर एवं निबन्धन अनुभाग-4
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-

प्रभु शंकर

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in